



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 15 मई, 2019 / 25 वैशाख, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th May, 2019

No. Home-B (B)15-5/2003.—In exercise of the powers vested under Section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint following officers as Special Executive Magistrates under the said code for the effective and emphathatic compliance of directions of Hon'ble National Green Tribunal:—

For the month of June 2019		
1.	Sh. Rakesh Kumar Goel	Deputy Director, Horticulture, Kullu
2.	Sh. Pawan Rana	S.D.O., HPPWD, Manali
3.	Sh. Amit	S.D.O., IPH, Manali
4.	Sh. Girdhari Lal Sharma	Tehsil Welfare Officer, Manali
5.	Sh. Jagdeep Singh	Planning Officer, TCP, Manali
For the month of July 2019		
6.	Dr. Amit Guleria	Assistant Settlement Officer, Kullu
7.	Sh. K.K. Sharma	Executive Engineer, HPPWD, Manali
8.	Ms. Kalyani Gupta	Block Development Officer, Naggar
9.	Sh. Raj Pal Sharma	Deputy Director, Agriculture, Kullu
10.	Sh. Gajender Singh	CDPO, Katrain, District Kullu

The powers of Special Executive Magistrate shall be exercised within the local limits of Sub Division Kullu and Sub-Division Manali during the period of June 2019 to July 2019 and further restricting them from carrying out Enquiry and Trial of cases under the Criminal Procedure Code which involve recording of evidence, sifting of evidence, application of mind and writing of order. The said officers shall cease to function as Special Executive Magistrate after 31st July, 2019 in so far as this notification is concerned.

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary (Home).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Bhumi Dev s/o Shri Prabhu Ram, r/o Village Gharan, Post Office Bagwara, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) and

2. Smt. Neena Kumari d/o Dharam Singh, r/o Village Nohra, P.O. Dimmi, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. presently w/o Sh. Bhumi Dev s/o Shri Prabhu Ram, r/o Village Gharan, Post Office Bagwara, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)..Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice for registration of marriage.

Sh. Bhumi Dev and Neena Kumari have filed an application u/s 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of the undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 23-04-2019 at Shiv Parvati Temple, Anu, Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur, H.P. as per Hindu rites and customs.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this

court on or before 28-05-2019. The objections received after 28-05-2019 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 26-04-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur (H. P.).

ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू,
जिला कुल्लू, हि० प्र०

केस नं० : 17/ME/T/2019

श्री राजू पुत्र श्री मुसदी लाल, गांव बशकोला, डाकघर कटराई, तहसील व जिला कुल्लू, हि० प्र०

श्रीमती लक्ष्मी पुत्री श्री अमर चन्द, गांव हिरनी, डाकघर अरछन्डी, तहसील व जिला कुल्लू, हि० प्र०
प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि० प्र० रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 02-04-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-06-2013 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान हिरनी में शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हि० प्र०।

**ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू,
जिला कुल्लू, हि0 प्र0**

केस नं0 : 18/ME/T/2019

श्री लाल चन्द पुत्र श्री दर्शन सिंह, गांव बागन, डाकघर बढई, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती जयवंती पुत्री श्री मेहर चन्द, गांव त्रिसड़ी, डाकघर शिरड़, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 28-03-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-03-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान त्रिसड़ी में शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

**ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू,
जिला कुल्लू, हि0 प्र0**

केस नं0 : 19/ME/T/2019

श्री श्याम लाल पुत्र श्री खीम चन्द, निवासी वार्ड नं0 8, गांव जुवाणी, डाकघर नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

श्रीमती देवकी पुत्री श्री आलम चन्द, निवासी वार्ड नं0 1, गांव खरोटल, डाकघर शिरड़, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 04-04-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 07-07-2017 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान खरोटल में शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू,
जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं० : 20/ME/T/2019

श्री देवी चन्द पुत्र श्री टेक राम, गांव तन्दला, डाकघर काईस, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती हाकमी देवी पुत्री श्री दोत राम, गांव कोटाधार, डाकघर कराड़सू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 03-04-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 02-01-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान कोटाधार में शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई अजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हि० प्र०।

ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू,
जिला कुल्लू, हि० प्र०

केस नं० : 21/ME/T/2019

श्री इशान पुत्र श्री सुनील दत्त चौधरी, निवासी गांव व डाकघर रघुनाथपुर, तहसील व जिला कुल्लू,
हि० प्र०।

श्रीमती वीनू शर्मा पुत्री श्री भुपेन्द्र शर्मा, निवासी मकान नं० 89, गांव व डाकघर सुल्तानपुर, तहसील व
जिला कुल्लू, हि० प्र० प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि० प्र० रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 27-03-2019 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 19-11-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान कुल्लू में शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2019 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हि० प्र०।

**In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Teenu d/o Late Sh. Avtar Singh, r/o Tek Chand Bulding, Totu, Tehsil and District Shimla,
Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Teenu d/o Late Sh. Avtar Singh, r/o Tek Chand Bulding, Totu, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of her brother named—Karan Singh s/o Late Sh. Avtar Singh, r/o Tek Chand Bulding, Totu, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, Tehsil and District Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of birth
1.	Karan Singh	Brother	09-11-2004

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name/date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Tehsil and District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 06-05-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

